

बिहार सरकार
पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग
पत्रांक-पि0व0/बजट-30-09/2018-

प्रेषक,

डॉ० वीरेन्द्र प्रसाद यादव,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

प्रशाखा पदाधिकारी-सह-
निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,
पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग,
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक-

विषय:- वित्तीय वर्ष 2018-19 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अन्तर्गत मुख्य शीर्ष 2251-सचिवालय सामाजिक सेवाएँ-उपमुख्य शीर्ष-00 लघु शीर्ष-090-सचिवालय उप शीर्ष-0024-पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के कूट संख्या-28 02-संविदा सेवाएँ इकाई में रू० 25,00,000/- (रू० पच्चीस लाख) मात्र के आवंटन की स्वीकृति।

आदेश:- स्वीकृत।

वित्तीय वर्ष 2018-19 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अन्तर्गत मुख्य शीर्ष 2251-सचिवालय सामाजिक सेवाएँ-उपमुख्य शीर्ष-00 लघु शीर्ष-090-सचिवालय उप शीर्ष-0024-पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग विषय शीर्ष- 2802-संविदा सेवाएँ इकाई में रू० 30,00,000/- (रू० तीस लाख) मात्र का मूल उपबन्ध किया गया है। उक्त विषय शीर्ष- 28 02-संविदा सेवाएँ इकाई में पुनर्विनियोग के माध्यम से उपबंधित राशि रू० 25,00,000/- (रू० पच्चीस लाख) मात्र आवंटित की जाती है।

2- आवंटित राशि वित्तीय वर्ष 2018-19 में मांग संख्या-11 के अधीन मुख्य शीर्ष 2251- सचिवालय सामाजिक सेवाएँ-उपमुख्य शीर्ष-00 लघु शीर्ष-090-सचिवालय उप शीर्ष-0024-पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के कूट संख्या-28 02-संविदा सेवाएँ इकाई, विपत्र कोड-11-2251000900024 अंतर्गत विकलनीय होगा।

3-इस राशि की निकासी प्रशाखा पदाधिकारी-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा की जाएगी।

4-आवंटित राशि का व्यय वित्त विभाग द्वारा निर्गत परिपत्र संख्या-2561, दिनांक-17.04.1998 एवं समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्गत आदेश/अनुदेश के आलोक में किया जायेगा।

5-प्रस्ताव में सचिव, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।

6-प्रस्ताव में माननीय मंत्री, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० वीरेन्द्र प्रसाद यादव)
सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक- पि0व0/बजट-30-09/2018-

72

पटना, दिनांक- 26/11/18

प्रतिलिपि:- महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार/वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/आई०टी० मैनेजर (विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु) एवं लेखाशाखा (दो प्रतियों में), पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, बिहार, पटना का सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

Beid

सरकार के विशेष सचिव।